न्यायालय :–रघुवीर प्रसाद पटैल, अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला–सागर, (म.प्र.)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रं.–1/2018
संस्थित दिनांक– 22/01/2018

1. जयसींग पिता श्री प्रागसींग ठाकुर (दांगी), उम्र–45 वर्ष, निवासी–खमरिया, तहसील–देवरी, जिला–सागर, म.प्र.

– – – –**आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता**

–:।। विरूद्व ।।:–

1. म.प्र. शासन द्वारा थाना–केसली, जिला–सागर,

– – – – **अनावेदक/उत्तरदाता**

–: आदेश –:

(आज दिनांक 19/03/2018 को पारित किया गया।)

1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 397, 399 दं.प्र.सं. अधीनस्थ न्यायालय सुश्री उषा उइके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी के द्वारा थाना केसली के अपराध क्रं. –238/17 धारा 363, 366, 354, 354क, 294, 506/34 भादसं एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट तथा 146, 196 मोटर व्हीकल एक्ट. में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 दप्रसं के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06/01/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 457 दप्रसं वास्ते मोटरसाइकिल क्रं.–एम.पी. –15–एम.एफ.–1942 एवं इंटेक्स कंपनी का मोबाइल को सुपुर्दनामे पर दिये जाने बाबत् प्रस्तुत आवेदन को दिनांक 06/01/2018 को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा सुपुर्दनामा के माध्यम से जिस वाहन एवं इंटेक्स कंपनी के मोबाइल को सुपुर्दगी पर चाहा गया है वह थाना केसली के अपराध क्रं.–238/17 धारा

363, 366, 354, 354क, 294, 506/34 भादसं एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट तथा 146, 196 मोटर व्हीकल एक्ट में मोबाइल से पीड़िता को गंदे मैसेज करने एवं मोबाइल से अश्लील फोटो लेने के कारण मोबाइल एवं मोटरसाइकिल पर आरोपी द्वारा पीड़िता को सागर छोडने की कह कर मोटरसाइकिल में बिठाकर उसके शरीर पर छेड़छाड की जाने से जप्त किये गये हैं। जिसे सुपुर्दनामे पर दिये जाने बाबत् पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है।

3. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 457 दप्रसं के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06/01/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदक का आवेदन अंतर्गत धार 457 मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं साक्ष्य की विषय–वस्तु है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का कोई अपराध नहीं बनता और सुपुर्दनामे पर दिये जाने से प्रकरण के विचारण एवं अनुसंधान में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय यह ध्यान नहीं दिया कि मोटरसाइकिल दैनिक उपयोग की है तथा प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है। वाहन खुले में रहने से टूट फूट होने एवं उसके स्पेयर पार्ट खराब होने की संभावना है। जप्तशुदा मोबाइल के न होने से आवेदक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर जप्तशुदा मोबाइल व मोटरसाइकिल क्र एम पी 15 एम एफ 1942 को सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्ष की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये, उन पर विचार किया गया। प्रकरण का एवं पुनरीक्षण के संबंध में जो आवेदन प्रस्तुत कर जो आधार लिये गये हैं, उन पर विचार किया गया।

6. मेरे समक्ष पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :–

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा पर दिये जाने संबंधी आवेदन के संबंध में पारित

पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 06/01/2018 अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्यपूर्ण है ?

2. क्या पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 457 दप्रसं का विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त कर त्रुटि की है ?

// सकारण विवेचना //

7. केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा जिस वाहन को सुपुर्दनामे पर चाहा गया है, वह थाना केसली के अपराध क्रं.–238/17 धारा 363, 366, 354, 354क, 294, 506/34 भादसं एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट तथा 146, 196 मोटर व्हीकल एक्ट में मोबाइल से पीड़िता को गंदे मैसेज करने एवं मोबाइल से अश्लील फोटो लेने के कारण मोबाइल एवं मोटरसाइकिल पर आरोपी द्वारा पीड़िता को सागर छोडने की कह कर मोटरसाइकिल में बिठाकर उसके शरीर पर छेड़छाड की जाने से जप्त किये गये हैं तथा विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त मोबाइल एवं मोटरसाइकिल को सुपुर्दनामे पर दिये जाने के संबधं में प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि जप्तशुदा सम्पत्ति साक्ष्य की विषय वस्तु है तथा प्रकरण अनुसंधान में है व प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

8. पुलिस थाना केसली से केस डायरी के साथ संलग्न प्रतिवेदन में जप्तशुदा मोबाइल से मैसेज करने, अश्लील फोटो लेने के कारण मोबाइल की जप्ती साक्ष्य एकत्रित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ से कॉल डिटेल निकालने के लिए मोबाइल की अनुसंधान में आवश्यकता होना बताया है। अतः प्रकरण में मोबाइल को मोबाइल से भेजे गये मैसेज व फोटो संबंधी साक्ष्य एवं कॉल डिटेल तकनीकी विशेषज्ञ से निकलवाये जाने के पश्चात् उसे प्रदान किया जाना उचित होगा। जप्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आगे आवश्यकता हो, ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है। साथ ही जप्तशुदा वाहन थाने में पडे रहने से खराब होने की संभावना है। प्रकरण में जप्त पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर वह वाहन का स्वामी होना प्रतीत हो रहा है, अन्य किसी व्यक्ति ने वाहन के संबंध में दावा नहीं किया गया है।

9. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **सुन्दर भाई अंबालाल देसाई विरूद्ध गुजराज राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.**

सी. 638 के मामले में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वाहन स्वामी को उसके वाहन को सुपुर्दगी पर देने के पूर्व पंचनामा आदि बनाया जा सकता है तथा ऐसे जप्तशुदा वाहन को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए तथा अधिकतम 15 दिवस से 01 माह के अन्दर उक्त वाहन को उसके वाहन स्वामी को अथवा अन्य योग्य अधिकृत व्यक्ति को सुपुर्दनामे पर दिया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त न्याय सिद्धांत के आलोक में निश्चय ही विद्धान विचारण न्यायालय ने वाहन स्वामी को प्रकरण की लंबन अवधि तक वाहन को सुपुर्दनामा पर नहीं देते हुए त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 06/01/2018 अशुद्ध, अवैध अथवा अनौचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखने योग्य नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 06/01/2018 को अपास्त किया जाता है तथा आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 397 सहपठित धारा 399 दण्ड प्रकिया संहिता निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है तथा परिणाम स्वरूप आवेदक का धारा 457 दं0प्र0सं0 का आवेदन भी निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है :–

सुपुर्दनामा की शर्तें:–

01.	प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल को मोबाइल से भेजे गये मैसेज व फोटो संबंधी साक्ष्य एवं कॉल डिटेल तकनीकी विशेषज्ञ से निकलवाये जाने के पश्चात् उसे प्रदान किया जावे। आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सुपुर्दनामा पर प्राप्त मोबाइल व वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.–15–एम.एफ.–1942 स्वरूप एवं संरचना में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे कि उसके मूल्य में सारभूत कमी आवे ।

02.	आवेदक/पुनरीक्षकर्ता द्वारा उक्त मोबाइल व वाहन को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने के बाद वह उसका अन्यथा अन्तरण न्यायालय की अनुमति की बिना, नहीं करेगा ।
03.	आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता, न्यायालय को उक्त मोबाइल व वाहन की आवश्यकता होने पर न्यायालय द्वारा आदेशित करने पर आदेशित स्थान, दिनांक एवं समय पर अपने स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेगा।
04.	आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता, इस तरह के अपराध कारित करने में वाहन का भविष्य में उपयोग नहीं किया जायेगा।

11. यदि उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए आवेदक/पुनरीक्षकर्ता के द्वारा **55,000/–(रूपये पचपन हजार)** का सुपुर्दनामा एवं उक्त राशि की एक सक्षम प्रतिभूति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी के न्यायालय की संतुष्टि योग्य प्रस्तुत कर दिया जावे तो मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. –15–एम.एफ.–1942 को अंतरिम रूप से आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता वाहन स्वामी को संबंधित थाना प्रभारी को यह निर्देश देते हुए कि वाहन से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की एक–एक छायाप्रति जिनका मिलान मूल दस्तावेजों से कर थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित की गई हो, ली जाकर एवं वाहन के विभिन्न एंगल को दर्शित करने वाले फोटोग्राफ जिनमें वाहन में लगी आगे व पीछे की नंबर प्लेट भी दर्शित हो रही हो। आवेदक के व्यय पर प्रकरण में संलग्न किए जाने हेतु ली जाकर सुपुर्दगी पर देने के पूर्व पंचनामा बनाकर तथा फोटोग्राफ व पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर कराकर एवं प्रकरण में जप्त मोबाइल को मोबाइल से भेजे गये मैसेज व फोटो संबंधी साक्ष्य एवं कॉल डिटेल तकनीकी विशेषज्ञ से निकलवाये जाने के पश्चात् ही उसे प्रदान किया जावे तथा उन्हें प्रकरण में संलग्न किए जाने हेतु प्रेषित किए जाने का निर्देशित किया जाकर उक्त वाहन एवं मोबाइल को प्रकरण के विचारण अवधि तक के लिए सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु आदेशित किया जाता है, तदानुसार रिहाई आदेश जारी किया जावेगा।

12. आदेश की एक प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

13. आदेश की प्रति के साथ केस डायरी संबंधित थाना को वापिस की जावे।

14. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समय सीमा में अभिलेखागार संचय हेतु प्रेषित किया जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित
कर खुले न्यायालय में पारित।

(रघुवीर प्रसाद पटैल)
अपर सत्र न्यायाधीश
देवरी, जिला–सागर, म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(रघुवीर प्रसाद पटैल)
अपर सत्र न्यायाधीश
देवरी, जिला–सागर, म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)